भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
संख्या: ECI/PN/288/2025
दिनांक: 09.08.2025
प्रेस नोट
निर्वाचन प्रणाली का शुद्धीकरण: आयोग ने 334 RUPPs को सूची से हटाया
देश में राजनीतिक दल (राष्ट्रीय/राज्य/RUPPs) जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A के प्रावधानों के अंतर्गत निर्वाचन आयोग में पंजीकृत होते हैं।
वर्तमान में, 6 राष्ट्रीय दल, 67 राज्य दल और 2854 पंजीकृत गैरमान्यताप्राप्त राजनीतिक दल (RUPPs) निर्वाचन आयोग में पंजीकृत हैं। (परिशिष्ट: राष्ट्रीय एवं राज्य दलों की सूची)
राजनीतिक दलों के पंजीकरण के लिए दिशानिर्देश में यह उल्लेख है कि यदि कोई दल लगातार 6 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ता है, तो उसे पंजीकृत दलों की सूची से हटा दिया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A के अनुसार, पंजीकरण के समय दलों को नाम, पता, पदाधिकारियों आदि का विवरण देना होता है तथा किसी भी परिवर्तन की सूचना आयोग को तुरंत देनी होती है।
जून 2025 में, निर्वाचन आयोग ने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को 345 RUPPs की उपरोक्त शर्तों के अनुपालन की जांच करने का निर्देश दिया था।
मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने जांच की, इन RUPPs को कारण बताओ नोटिस जारी किए और प्रत्येक दल को व्यक्तिगत सुनवाई के माध्यम से अपनी बात रखने का अवसर दिया।
इसके बाद, मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर, कुल 345 RUPPs में से 334 RUPPs उपरोक्त शर्तों का पालन करते नहीं पाए गए। शेष मामलों को पुनः जांच हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को वापस भेजा गया है।
आयोग ने सभी तथ्यों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की सिफारिशों पर विचार करने के बाद 334 RUPPs को सूची से हटा दिया है (लिंक: https://www.eci.gov.in/list-of-political-parties)। अब कुल 2854 RUPPs में से 2520 शेष हैं। यह सूची से हटाने की प्रक्रिया निर्वाचन प्रणाली के शुद्धिकरण के लिए आयोग की व्यापक एवं सतत रणनीति का हिस्सा है।
अब ये RUPPs जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29B एवं 29C, आयकर अधिनियम, 1961 और चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के अंतर्गत किसी भी लाभ के पात्र नहीं होंगे। इस आदेश से असंतुष्ट कोई भी दल आदेश की तिथि से 30 दिनों के भीतर आयोग में अपील कर सकता है।
(अपूर्व कुमार सिंह)
सहायक निदेशक
https://www.eci.gov.in/list-of-political-parties

परिशिष्ट

मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल

1. आम आदमी पार्टी
2. बहुजन समाज पार्टी
3. भारतीय जनता पार्टी
4. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)
5. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
6. नेशनल पीपुल्स पार्टी

मान्यता प्राप्त राज्य दल

एजेएसयू पार्टी
ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम
ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन
ऑल इंडिया एन.आर. कांग्रेस
ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस
ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट
अपना दल (सोनेलाल)
असम गण परिषद
भारत आदिवासी पार्टी
भारत राष्ट्र समिति
बीजू जनता दल
बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट
सिटिज़न एक्शन पार्टी - सिक्किम
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) (लिबरेशन)
देशिया मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम
द्रविड़ मुनेत्र कड़गम
गोवा फॉरवर्ड पार्टी
हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी
इंडियन नेशनल लोक दल
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग
इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा
जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस
जम्मू और कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी
जम्मू और कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी
जनसेना पार्टी
जनता दल (सेक्युलर)
जनता दल (यूनाइटेड)
जननायक जनता पार्टी
जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे)
झारखंड मुक्ति मोर्चा
केरल कांग्रेस
केरल कांग्रेस (एम)
लोक जनशक्ति पार्टी
लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास)
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी
मिजो नेशनल फ्रंट
नाम तमिलर कच्ची
नागा पीपुल्स फ्रंट
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी – शरदचंद्र पवार
नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी
पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट
पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल

राष्ट्रीय जनता दल
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अठावले)
रिवोल्यूशनरी गोअंस पार्टी
रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी
समाजवादी पार्टी
शिरोमणि अकाली दल
शिवसेना
शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे)
सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट
सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा
तेलुगु देशम पार्टी
तिप्रा मोथा पार्टी
यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी
यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी, लिबरल
विदुथलाई सिरुथैगल कच्ची
वॉइस ऑफ द पीपुल पार्टी
युवजन श्रमिक रैयथु कांग्रेस पार्टी
जोरम नेशनलिस्ट पार्टी
जोरम पीपुल्स मूवमेंट